दिनांक 19.09.2016 को राज्य परिवहन आयुक्त के साथ राईट्स लिमिटेड, गुड़गाँव के पदाधिकारियों के साथ हुए विमर्श की कार्यवाही :–

बिहार की चार नदियों के परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने के विरूद्ध राईट्स लिमिटेड द्वारा दावा किए गए राशि में से शेष राशि 14,29,324/– (चौदह लाख उन्तीस हजार तीन सौ चौबीस) रूपये के भुगतान के संबंध में प्रधान सचिव के आदेश के आलोक में राईट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि वार्ता हेतु राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए।

2. राईट्स लिमिटेड के महाप्रबंधक द्वारा निम्न दो बातों की ओर राज्य परिवहन आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

   (i) पूर्व स्वीकृत कुल मो0–42,87,860/– (ब्यालिस लाख सत्तासी हजार आठ सौ साठ) रूपये के भुगतान की स्थिति ; एवं

   (ii) शेष राशि–14,29,324/– (चौदह लाख उन्तीस हजार तीन सौ चौबीस) रूपये के भुगतान हेतु अनुरोध।

3. राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा राईट्स लिमिटेड द्वारा दावा किए गए राशि में से 42,87,860/– (ब्यालिस लाख सत्तासी हजार आठ सौ साठ रूपया) की निकासी हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है तथा इसका विपत्र बनाकर संबंधित कोषागार में राशि की निकासी हेतु भेजा गया।

4. कोषागार द्वारा वित्त विभाग के एक पत्र का हवाला देते हुए यह आपत्ति उठायी गयी है कि राईट्स लिमिटेड को भुगतान हेतु लाभ–हानि खाता में रखी गयी राशि कालातीत हो चुकी है एवं इस राशि की निकासी नहीं हो सकी। फलतः वित्त विभाग से इस राशि की निकासी किस प्रकार की जाए इस संबंध में परामर्श मांगी गयी है। परामर्श प्राप्त होते ही तदनुसार राशि के निकासी हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

5. जहाँ तक शेष बचे 14,29,324/– (चौदह लाख उन्तीस हजार तीन सौ चौबीस रूपया) के भुगतान का प्रश्न है, इस संबंध में राईट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा यह बताया गया कि परियोजना प्रतिवेदन समर्पित किए जाने हेतु राईट्स लिमिटेड से किए गए एकरारनामे में निर्धारित शर्त्त के उल्लघंन हेतु (विलम्ब से परियोजना प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के कारण) निर्धारित दण्ड शुल्क के कारण उक्त राशि के भुगतान की स्वीकृति नहीं दी गयी है।

6. राईट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि दण्ड शुल्क को तत्काल स्थगित रखते हुए शेष राशि के भुगतान की कार्रवाई की जाए। साथ ही राईट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना देने की कृपा की जाए।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5800 पटना, दिनांक– 26/9/16

7 / रथा0 (आई0 डब्लू0 टी0)–404 / 2007 (खंड)

-mail

प्रतिलिपि– श्री **के0** जी0 एसo शर्मा, महाप्रबंधक, राईट्स लि0, **राईट्स भवन–1,** सेक्टर–29, गुड़गाँव–122001 (हरियाणा) को सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/16

विशेष कार्य **पदाधिकारी,**
परिवहन विभाग, **बिहार,** पटना।

E Manoj K. KR